प्री-जी. एस. टी. टैक्स के लिये OTS योजना

चर्चा के क्यों?

गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने **प्री-जी. एस. टी**. से संबंधित लंबित कर भुगतान के निपटान हेतु **वन टाइम सेटलमेंट-2023 (OTS)** योजना की शुरूआत की है।

- यह **योजना 1 जनवरी से 30 मार्च, 2024** तक चालू रहेगी।

मुख्य बिंदु:

- कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने **हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (HIPA), गुरुग्राम** के सहयोग से एक **जी. एस. टी. प्रशिक्षण संस्थान** खोलने की भी घोषणा की।
- सरकार व्यापारियों और उद्योग संगठनों की मांगों का जवाब देने के लिये गुरुग्राम व हिसार में **वस्तु एवं सेवा कर (GST) ट्रिब्यूनल** की शाखाएँ स्थापित करने की योजना बना रही है।
- OTS योजना के तहत, कर राशि को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बिना विवाद वाले मामलों के लिये निर्विवाद शुल्क श्रेणी से होगी।
    - करदाता इस श्रेणी में **बिना किसी दंड या ब्याज के 100% राशि का भुगतान** करेंगे।
    - **₹50 लाख** से कम के विवादित कर के मामले में करदाताओं को बकाया राशि का **30%** भुगतान करना होगा और यदि विवादित कर राशि ₹50 लाख से अधिक है, तो उन्हें **50%** का भुगतान करना होगा।
    - तृतीय श्रेणी में अविवादित करों का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा जहाँ कोई अपील नहीं की गयी हो। यदि **राशि ₹50 लाख से कम** है तो करदाताओं को **40%** और ₹50 लाख से अधिक होने पर 60% का भुगतान करना होगा। जुर्माने और ब्याज से राहत मिलेगी।
    - चौथी श्रेणी में कर दरों में अंतर के कारण बकाया राशि शामिल है। यहाँ, सरकार ने राशि में छूट दी है, जिससे करदाताओं को **कुल राशि का केवल 30%** भुगतान करना होगा।
- यदि बकाया राशि **₹10 लाख से ₹25 लाख के बीच** है, तो राशि का भुगतान दो किश्तों में किया जा सकता है।
- यदि बकाया **₹25 लाख से अधिक** है, तो भुगतान **तीन किश्तों** में बाँटा जा सकता है: **पहले 90 दिनों में 40%, अगले 90 दिनों में 30% और अंतिम 90 दिनों में 30%**।
- **OTS योजना 30 जून, 2017** तक उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग से संबंधित बकाया कर मुद्दों को संबोधित करती है। यह विशेष रूप से सात VAT-संबंधित अधिनियमों से संबंधित चिंताओं का समाधान करती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ots-scheme-for-pre-gst-tax